



UPST010052602026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित: सुनील कुमार-IV, उच्चतर न्यायिक सेवा

न्यायिक अधिकारी कोड सं० यू०पी०१८८५

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1678/2026

1. जबीब आयु लगभग 56 वर्ष पुत्र रामसुन्दर
 2. खलील आयु लगभग 25 वर्ष पुत्र जबीब
- निवासीगण ग्राम परसौहा कारेबन, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर
..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या-160/2026

धारा-109, 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस०

थाना-जयसिंहपुर, जनपद-सुलतानपुर

दिनांक: 11.06.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जबीब व खलील की ओर से थाना-जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या-160/2026 अन्तर्गत धारा-109, 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल नहीं दिया और इस आशय का पृष्ठांकन उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र पर कर दिया गया है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र बल न दिये जाने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जबीब व खलील की ओर से थाना-जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या-160/2026 अन्तर्गत धारा-109, 115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० के मामले में प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बल न देने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 11.06.2026

मधुलिका सिंह/-

(सुनील कुमार-IV)

सत्र न्यायाधीश,

सुलतानपुर

J.O. Code: UP 1885